रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/97

REGD. NO. D. L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2
PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 6, 1997/कार्तिक 15, 1919
No. 30] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 6, 1997/KARTIKA 15, 1919

जल भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 1997

फा. सं. ए-12022/3/97-पी ई-I.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा श्री ए० के० गुप्ता, भा. प्र. से. (टी. एन : 81) को भारत सरकार में निदेशक के पद से सम्बद्ध वेतनमान में 11-10-1997 (पूर्वाह्न) से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर चेन्नई पत्तन न्यास का उपाध्यक्ष नियुक्त करती है।

के. वी. राव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th Novembr, 1997

F.No. A-12022/3/97-P.E.I.—In exercise of the powers conferred on them by Clause (b) of sub-Section (1) of Section 3 of the Major Port Trusts act, 1963 (38 of 1963), the Central Government appoints Shri A.K. Gupta, IAS (TN: 81) as Deputy Chairman of Chennai Port Trust in the pay scale attached to the post of Director to the Government of India with effect from 11-10-1997 (FN) for a period of five years on deputation basis.

K.V. RAO, Jt. Secy.

2866 G.I/97

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997